उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या:25/2020/1587/12-2-2020-1/2019
लखनऊ: दिनांक: 11 अगस्त, 2020

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

केन्द्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अधीन केन्द्र सरकार की अवस्थापना निधि के गठन की घोषणा के क्रम में कृषक, कृषि उत्पादक संगठन, सहकारी समितियों, उद्यमियों को कृषि से जुडे विभिन्न अवस्थापनाओं को गठित करने को प्रोत्साहित करने पर (प्रत्येक परियोजना पर दो करोड की सीमा तक) तीन प्रतिशत की छूट, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जायेगी, के संचालन/अनुश्रवण हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को राज्य नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

आलोक सिन्हा
कृषि उत्पादन आयुक्त।

<u>संख्या:25/2020/1587 (1) /12-2-2020 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2 निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7 रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8 महाप्रबंधक, नाबार्ड।
9 एन0सी0डी0सी0 के क्षेत्रीय निदेशक।
10 कन्विनर, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति।
11 निदेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12 राज्य नोडल अधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13 कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14 समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी, उत्तर पदेश।
15 समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश
16 समस्त उप निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश।
17 समस्त जिला रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश।
18 समस्त महाप्रबंधक, जिला उद्यान केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
19 समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
20 समस्त उप निदेशक, मण्डी परिषद/सचिव, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
21 समस्त लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उत्तर प्रदेश।
22 समस्त जिला प्रबंधक, नाबार्ड, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।